साइबर अलर्ट एनएएस डिवाइस पर मंडराया रैनसमवेयर का

जयपुर, , वेब वार्ता। राजस्थान में डिजिटल डेटा सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की गई है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अवलोकनों के आधार पर सामने आया है कि साइबर अपराधियों ने अब नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज डिवाइस को अपना नया निशाना बना लिया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर जारी इस एडवाइजरी में संस्थानों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

उपमहानिरीक्षक (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह के अनुसार, साइबर हमलावर बेहद सुनियोजित तरीके से इंटरनेट पर असुरक्षित या खुले एनएएस सिस्टम की पहचान करते हैं। कमजोर पासवर्ड और पुराने सॉफ्टवेयर का फायदा उठाकर वे सिस्टम में घुसपैठ करते हैं और महत्वपूर्ण डेटा को या तो कॉपी कर लेते हैं या एन्क्रिप्ट कर लॉक कर देते हैं। इसके बाद संस्थानों से भारी फिरौती की मांग की जाती है और संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने की धमकी दी जाती है।

इस खतरे के दायरे में चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, आईटी और कंसल्टिंग एजेंसियां, अस्पताल, मीडिया संस्थान और शैक्षणिक संस्थाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं, क्योंकि इनके पास बड़ी मात्रा में गोपनीय और वित्तीय डेटा सुरक्षित रहता है। हाल के दिनों में इन क्षेत्रों पर रैनसमवेयर हमलों की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। एडवाइजरी में संस्थानों को अपने सिस्टम की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। इसमें एनएएस सिस्टम की इंटरनेट पर सीधी पहुंच सीमित करना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट रखना और सभी सुरक्षा पैच लागू करना शामिल है।

साथ ही डेटा का नियमित बैकअप लेकर उसे ऑफलाइन सुरक्षित रखने, सिस्टम की लगातार निगरानी करने और संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। विशेषज्ञों ने यह भी सलाह दी है कि किसी भी आपात स्थिति में डेटा रिकवरी की व्यवस्था पहले से तैयार रखी जाए और यदि सिस्टम प्रभावित हो जाए तो उसे तुरंत नेटवर्क से अलग कर दिया जाए। आवश्यकता पड़ने पर साइबर विशेषज्ञों की मदद लेना भी जरूरी बताया गया है। साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर थाने में सूचना देने के साथ ही साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1930 और साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930/9257510100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

बीस हजार की रिश्वत लेते कांस्टेबल व निजी व्यक्ति गिरफ्तार

जयपुर, वेब वार्ता। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कार्रवाई करते हुए अलवर जिले के कठूमर थाने में एक कांस्टेबल और एक निजी व्यक्ति को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

एसीबी पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि हेल्पलाइन 1064 पर मिली शिकायत के अनुसार परिवादी के रिश्तेदार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मदद करने के नाम पर एएसआई नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल रामेश्वर सिंह और निजी व्यक्ति निरंजन सिंह द्वारा 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। इस शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी जयपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक अनिल कयाल के निर्देशन में भरतपुर इकाई ने जांच की। इसके बाद दौसा एसीबी के उप अधीक्षक पुलिस रविन्द्र सिंह के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल रामेश्वर सिंह और निरंजन सिंह को परिवादी से 20 हजार रुपए लेते पकड़ा गया। बरामद राशि निजी व्यक्ति के पास से जब्त की गई। मामले में एएसआई नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी शेष है।

जयपुर में मेडिकल संचालक से 80 हजार की लूट

पहले कार सवार बदमाशों ने पीछे से टक्कर मारी, फिर बैग छीनकर भागे

जयपुर, 26 मार्च (का.सं.)। जयपुर में कंचन मेडिकल संचालक से लूट का मामला सामने आया है। कार से टक्कर मारकर बाइक सवार मेडिकल संचालक को गिराकर बदमाश 80 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए। रामगरिया थाना पुलिस ने सूचना पर नाकाबंदी करवाई, लेकिन कार सवार लुटेरों का सुराग नहीं लग सका।

SHO (रामनगरिया) चंद्रभान ने बताया- लूट की वारदात जगतपुरा के एनआरआई चौराहे पर रहने वाले रामवतार गौतम के साथ हुई। वह जगतपुरा रेलवे फाटक के पास कंचन मेडिकल स्टोर चलाते है। रात करीब 11:15 बज वह दुकान बंद कर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान घर से महज 50 मीटर पहले कार सवार बदमाशों ने पीछे से टक्कर मारकर बाइक सहित उन्हें गिरा दिया। कार से उतरे बदमाश उसका बैग छीनकर फरार हो गए।

बैग में करीब 80 हजार रुपए कैश रखे हुए थे। लूट की सूचना पर रामनगरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सूचना पर नाकाबंदी करवाई। इसके साथ ही वारदातस्थल के पास लगे **CCTV** फुटेजों को खंगालने के साथ ही कार सवार लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है।

एयर इंडिया की दिल्ली-लंदन फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते बीच रास्ते से वापस लौटी

नई दिल्ली , वेब वार्ता। एयर इंडिया की दिल्ली से लंदन हीथ्रो जाने वाली एक फ्लाइट को गुरुवार दोपहर बीच रास्ते से वापस दिल्ली लौटना पड़ा। उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी का शक होने पर यह फैसला लिया गया। यह फ्लाइट एआई111 सुबह करीब 6 बजे दिल्ली से रवाना हुई थी और लगभग 7 घंटे तक हवा में रहने के बाद वापस लौटी। यह विमान दोपहर करीब 12:30 बजे सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गया। एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक, यात्रा के दौरान तकनीकी समस्या का संदेह होने पर एहतियात के तौर पर विमान को वापस बुलाया गया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, इसलिए यह निर्णय लिया गया।

एयरलाइन ने बताया कि विमान पूरी तरह सुरक्षित तरीके से उतरा और सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया।

फिलहाल विमान की विस्तृत तकनीकी जांच की जा रही है, जिसमें कुछ समय लग सकता है। इसके बाद ही आगे की उड़ान को लेकर फैसला लिया जाएगा।

एयर इंडिया ने इस घटना से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है और कहा है कि प्रभावित यात्रियों को जल्द से जल्द लंदन पहुंचाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।

तकनीकी खराबी की असली वजह क्या थी, इसकी जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।

इससे पहले पिछले हफ्ते भी एयर इंडिया की एक फ्लाइट, जो दिल्ली से कनाडा के वैंकूवर जा रही थी, 9 घंटे बाद वापस लौट आई थी, क्योंकि उस रूट पर तैनात किए गए विमान (बी777) को कनाडा के एविएशन रेगुलेटर से वहां उड़ान भरने की अनुमति नहीं थी।

एयर इंडिया की फ्लाइट, जिसका कॉल साइन एआई185 था, 20 मार्च को दोपहर 12.18 बजे दिल्ली से यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई वैंकूवर के लिए बोइंग 777-200एलआर विमान से रवाना हुई, जबकि एयर इंडिया को इस मार्ग पर केवल अपने बोइंग 777-300ईआर विमानों के लिए ही कनाडा से अनुमति प्राप्त है।

राजस्थान-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में नीमराना मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका

जयपुर, 26 मार्च। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को कोटपूतली-बहरोड़ के रीको नीमराना औद्योगिक क्षेत्र का दौरा कर औद्योगिक इकाइयों की कार्यव्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उद्योगों को प्रोत्साहन देने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे है।

उन्होंने कहा कि उद्योग और निवेश आर्थिक समृद्धि के प्रमुख आधार हैं तथा उद्यमी राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य सचिव ने इस दौरान जापानीज जोन की डाइकिन एयर-कंडीशनिंग इंडिया प्रा. लि. का निरीक्षण कर वहां की आधुनिक तकनीक और उत्पादन क्षमता का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रयासों से राज्य में निवेश को गति मिली है और उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण विकसित हुआ है।

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.04.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :
नागपुर, लाडनूं, 137990700003555,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

भारत किसी भी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

करनाल, वेब वार्ता। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को कहा कि जहां एक ओर वैश्विक संघर्ष और भू-राजनीतिक तनाव पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति के लिए संभावित खतरा पैदा करते हैं, वहीं भारत ऐसी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिलहाल 'घबराने की कोई जरूरत नहीं है।' पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा आपूर्ति का मुद्दा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बढ़ती हुई अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय है; खासकर कई देशों के बीच चल रहे संघर्षों को देखते हुए, जिनसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं। उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी एक मुद्दा है। एक बड़ी समस्या जो हम देख रहे हैं, वह यह है कि कुछ देश आपस में युद्ध में उलझे हुए हैं, जिसका असर पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति पर काफी पड़ सकता है, क्योंकि हम उन्हें वहीं से आयात करते हैं।'

हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि मौजूदा स्थिति स्थिर बनी हुई है और आपूर्ति में तत्काल कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने आगे कहा, 'अभी सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और कोई समस्या नहीं है।'

तैयारी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, 'एक कहावत है कि 'सबसे अच्छे की उम्मीद करो, लेकिन सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहो।' सरकार ने अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर भी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। जब भी कोई समस्या आती है, तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार ने हर तरह की तैयारियां कर रखी हैं। अगर भविष्य में कोई कठिनाई आती भी है, तो भी हम आसानी से उसका कोई न कोई हल निकाल लेंगे।'

उन्होंने आगे कहा कि भारत के पास इस समय जरूरी ईंधनों और संबंधित संसाधनों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा, 'हमारे पास इस समय पर्याप्त स्टॉक है, चाहे वह पेट्रोल हो, एलपीजी हो, या फिर ऐसी ही दूसरी चीजें जिन्हें हम विदेशों से आयात करते हैं। हम हर पहलू से पूरी तरह तैयार हैं।'

इस तैयारी को आत्मनिर्भरता के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए, मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान का जिक्र किया। उन्होंने समझाया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपनी घरेलू क्षमताओं को इतना मजबूत बनाना कि बाहरी स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम हो जाए।

उन्होंने कहा, 'ऐसा इसलिए है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें एक 'आत्मनिर्भर भारत' का निर्माण करना है। आत्मनिर्भरता का सीधा सा मतलब यह है कि हम अपनी जरूरतों के लिए खुद ही पूरी तरह से सक्षम और आत्मनिर्भर हों।'

उन्होंने देशों के बीच आपसी व्यापार की मौजूदा व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला और बताया कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों का आयात और निर्यात, दोनों ही करता है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश किसी भी प्रतिकूल या मुश्किल हालात का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है।

उन्होंने कहा, 'अभी देशों के बीच एक व्यावहारिक आदान-प्रदान की व्यवस्था चल रही है। कुछ चीजें हम उनसे आयात करते हैं, तो कुछ चीजें वे हमसे लेते हैं। लेकिन, अगर भविष्य में हालात बिगड़ते भी हैं, तो भी हम हर तरह से उनका सामना करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी मुश्किल आती है, तो हम स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।'

एलपीजी, पेट्रोलियम और उर्वरक आपूर्ति पर सर्वदलीय बैठक

अवैध भंडारण और कालाबाजारी के विरूद्ध कार्रवाइयों में आमजन करें प्रशासन का सहयोग

जयपुर, 26 मार्च। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मध्यपूर्व एशिया क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति से कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर की आपूर्ति के संबंध में आयोजित सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में तेल, गैस के प्रबंधन की स्थिति के बारे में चर्चा करते हुए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

श्री शर्मा ने सभी दलों के साथ-साथ प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया कि राजस्थान में पेट्रोल-डीजल, गैस एवं उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त है तथा किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने सतर्कता से काम कर व्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़, सक्रिय एवं प्रभावी बनाया है।

राजस्थान फाउंडेशन ने प्रवासी राजस्थानियों को पहुंचाई मदद

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मध्यपूर्व एशिया क्षेत्र में मौजूदा हालातों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर्स एवं देश-विदेश के 60 प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन्स, प्रवासी राजस्थानी कॉर्डिनेटर्स के साथ वीसी के माध्यम से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में रियाद, कुवैत, बहरीन, दुबई जैसे देशों में राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स ने प्रवासी राजस्थानियों के सुरक्षित आवास, खाने जैसी बुनियादी आवश्यकताओं और वतन वापसी का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार और राजस्थान फाउंडेशन आगे भी मध्यपूर्व एशिया के देशों में प्रवासी राजस्थानियों की हरसंभव मदद के लिए तैयार है।

तेल एवं गैस की राज्य एवं जिला टीमें कर रही प्रभावी निगरानी

श्री शर्मा ने कहा कि तेल, गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने स्वयं समय-समय पर जिलाधिकारियों, संबंधित अधिकारियों, वितरण से जुड़े लोगों के साथ लगातार बैठकें की हैं। खाद्य मंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर भी निरंतर समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावी निगरानी और सतर्कता के लिए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। वहीं, जिला स्तर पर कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएसओ और तेल कंपनियों के नोडल अधिकारियों की टीमें भी गठित की गई हैं। समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन नंबर चौबीस घंटे संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सिटी गैस वितरण कंपनियों को घरेलू पाइप्ड नैचुरल गैस कनेक्शन देने में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट जैसी वाणिज्यिक इकाइयों को नैचुरल गैस अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षित पीएनजी के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।

दुर्गा मंदिरों में उमड़ा आस्था का ज्वार

चिड़ावा। मां दुर्गा की श्रद्धा, आस्था और भक्ति के आठवें दिन दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर की पुरानी बस्ती स्थित श्री देवी मंदिर और रेलवे स्टेशन के पास स्थित दुर्गा मंदिर में माता के दरबार को फूलों से सजाया गया है। माता को नई पोशाक धारण करवाई गई।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया और जिसे वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
सीआईएन: L65110TN2014PLC097792 पंजीकृत कार्यालय: - केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई- 600031. फोन: +91 44 4564 4000 / फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया है। नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू होगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) नोटिस की तारीख	धारा 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	73991725 और 122296708	गृह ऋण	11.02.2026	8,95,517.28/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. नंदू देवी 2. राजेंद्र कुमार

संपत्ति का पता: वह सब टुकड़ा और प्लॉट का पार्सल पट्टा संख्या सहित प्लॉट. 46, पुस्तक सं. 38, प्लॉट क्षेत्रफल 89.67 वर्ग गज, गांव में स्थित: कसुम्बी उपदरा, ग्राम पंचायत: कसुम्बी अलीपुर, पंचायत समिति: लाडनूं, तहसील: लाडनूं, जिला: नागौर, राजस्थान-341304, और इसकी सीमा: पूर्व: संपत का घर लाल, पश्चिम: छगन लाल का घर, उत्तर: जसवन्तगढ़ एलईडी रोड, दक्षिण: मोहनराम नेहरा का बाड़ा

आपसे कहा जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)** को संबंधित तारीखों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि के साथ इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)** को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लेखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री/पट्टे या अन्यथा रूप से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 27.03.2026 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, के साथ समामेलित
स्थान: राजस्थान आईडीएफसी बैंक लिमिटेड और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

VASTU HOUSING FINANCE

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, ''ए'' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सिवड़ी (पश्चिम), मुंबई 400015 महाराष्ट्र **CIN No.: U65922MH2005PLC272501**

शुद्धि पत्र

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना

इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि 11.03.2026 को 'इंडियन एक्सप्रेस और 'प्रभात अभिनंदन' समाचार पत्रों में प्रकाशित बिक्री सूचना में उल्लेखित संपत्तियों की नीलामी से संबंधित तिथियों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

क. सं.	खाता संख्या और उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, बंधककर्ताओं के नाम	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना के अनुसार दिनांक एवं राशि, तथा सांकेतिक कब्जे की दिनांक	संपत्ति/संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य, बयाना जमा (रुपयों में)	ई-नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1.	**MLP**000000120052 रेखा (ऋणकर्ता), कलवंत राम (सह-ऋणकर्ता), बलवंत (सह-ऋणकर्ता), रवि कुमार (गारंटर)	मांग सूचना दिनांक 25-08-2025 और राशि रुपये 212967 दिनांक 19-08-2025 तक + ब्याज लागत आदि और 05-01-2026	पट्टा संख्या 54, पुस्तक संख्या 39, 20 एमएल-ए ग्राम पंचायत लाधूवाला, ग्राम पंचायत लाधुवाला श्रीगंगानगर राजस्थान 335002, संपत्ति का क्षेत्रफल 1199 वर्ग फुट, और सीमा इस प्रकार है-पूर्व-सड़क, पश्चिम-खाली भूखंड, उत्तर-अम्मी लाल, दक्षिण-बलवंत।	रूपये 461992/- रूपये 46199/-	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026
2.	**HL**0000000094954 नारायण सिंह (उधारकर्ता), तेजा बाई (सह-उधारकता)	मांग सूचना दिनांक 17-09-2025 और राशि रु. 448150 दिनांक 09-09-2025 + ब्याज लागत आदि और 12-01-2026	पट्टा नंबर पर मकान **JWR**14015, खसरा नं. 437/216 ग्राम धतुरिया कलां ग्राम पंचायत गोविंदपुरा पंचायत समिति पिड़ावा मु. सुनेल झालावाड़ राजस्थान 1800	रूपये 1445000/- रूपये 144500/-	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026
3.	एमएलपी000000252473 गोर्धन गोर्धन (उधारकर्ता), गीताबाई बाई (सह-उधारकर्ता), मांगीलाल एलएएल (गारंटर)	मांग सूचना दिनांक 17-09-2025 और राशि रु. 405431 दिनांक 09-09-2025 + ब्याज लागत आदि और 15-01-2026	पट्टा विलेख संख्या **JWR-**58881 खसरा संख्या 36 खसरा संख्या 36 ग्राम पंचायत खेरिया राजस्थान की भूमि 462 वर्ग फुट	रूपये 530145/- रूपये 53014/-	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026
4.	**HL**0000000120263 प्रहलाद सिंह (उधारकर्ता), रतन बाई (सह-उधारकर्ता), नमस केवार (सह-उधारकर्ता), रोडू लाल (गारंटर)	मांग सूचना दिनांक 17-09-2025 और राशि रु. 594308 दिनांक 09-09-2025 + ब्याज लागत आदि और 12-01-2026	ग्राम फर्शपुरा तहसील पिरावा ग्राम पंचायत उड़िया खेड़ी झालावाड़ राजस्थान का खसरा नंबर 1173/165, क्षेत्रफल 2400 वर्ग फुट	रूपये 1316650/- रूपये 131665/-	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026
5.	**MHL**000000147273 प्रियंका (उधारकर्ता), नंद लाल (सह-उधारकर्ता), अशोक (गारंटर)	मांग सूचना दिनांक 17-09-2025 और राशि रु. 166730 दिनांक 09-09-2025 तक + ब्याज लागत आदि और दिनांक 29-12-2025	आवासीय भूमि का पट्टा विलेख (पट्टा) संख्या 48, खसरा संख्या 285 ग्राम गोरडी जागीर ग्राम पंचायत नानावता पंचायत समिति अटरू तहसील अटरू जिला बारां बारां राजस्थान 325219 में स्थित संपत्ति, माप 777 वर्ग फुट	रूपये 217090/- रूपये 21709/-	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026
6.	**MHL**000000166129 लिचमा (ऋणकर्ता), गणपत राम (सह-ऋणकर्ता), राकेश (सह-उधारकर्ता), भादर राम (गारंटर)	मांग सूचना दिनांक 25-09-2025 और राशि रुपये 77548516-09-2025 तक + ब्याज लागत आदि और दिनांक 03-01-2026	आवासीय भूखंड पट्टा संख्या 04 आकार 3822 दार गज पट्टा संख्या 04 जैतपुर महाजन तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर में स्थित है	रूपये 1672375/- रूपये 167237/-	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026
7.	**MHL**000000202433 धन सिंह (उधारकर्ता), राज कंवर (सह-उधारकर्ता), भरत सिंह (गारंटर)	मांग सूचना दिनांक 11-10-2025 और राशि रुपये 372019 दिनांक10-10-2025 तक + ब्याज लागत आदि और दिनांक 15-01-2026	पट्टा विलेख संख्या **JWR-**83853, खसरा संख्या 51, ग्राम पंचायत समराई, झालावाड़, राजस्थान, 326023, संपत्ति का क्षेत्रफल: 756 वर्ग फुट	रूपये 388569/- रूपये 38857/-	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026
8.	एलपी0000000091899 जगदीश प्रसाद (उधारकर्ता), उषा बाई (सह-उधारकर्ता)	मांग सूचना दिनांक 11-10-2025 और राशि रुपये 788147 09-10-2025 तक + ब्याज लागत आदि और दिनांक 06-01-2026	पट्टा नंबर पर मकान 75631, खसरा नं. 1878 ग्राम खानपुर, ग्राम पंचायत खानपुर, पंचायत समिति खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.), माप 806 वर्ग फुट	रूपये 993395/- रूपये 99339/-	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026
9.	**MHL**000000125212 कमला बाई (उधारकर्ता), ओम प्रकाश भील (सह-उधारकर्ता)	मांग सूचना दिनांक 11-10-2025 और राशि रुपये 154572 दिनांक 10-10-2025 तक + ब्याज लागत आदि और दिनांक 09-01-2026	मकान, पट्टा संख्या 1503, खसरा संख्या 74, ग्राम चंदा का तालाब, ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, पंचायत समिति तालेरा, राजस्थान, बूंदी 323021; क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट।	रूपये 408000/- रूपये 40800/-	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026
10.	**HL**0000000070452 प्रभात कश्यप (उधारकर्ता), अर्चना कश्यप (सह-धारकर्ता), विजय कुमार सुमन (गारंटर)	मांग सूचना दिनांक 11-10-2025 और राशि रुपये 1574520 दिनांक 09-10-2025 तक + ब्याज लागत आदि और दिनांक 13-01-2026	मकान, प्लॉट संख्या 23, श्री गिर्राज रेजिडेंसी (खसरा संख्या 1140 का भाग), ग्राम देवली अरब, तहसील लाडपुरा, कोटा, राजस्थान 324001; क्षेत्रफल 585 वर्ग फुट।	रूपये 1939275/- रूपये 193927/-	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026
11.	**HL**0000000062973 रामकिशोर कुमार मीना (ऋणकर्ता), सुनीता मीना (सह-ऋणकर्ता), कुंदन लाल मीना (गारंटर)	मांग सूचना दिनांक 11-10-2025 और राशि रूपये 631199 दिनांक 09-10-2025 तक + ब्याज लागत आदि और दिनांक 07-01-2026	संपत्ति विवरण: - प्लॉट संख्या 15, खसरा संख्या 488, ग्राम- भुगोर, जिला- अलवर, राजस्थान में स्थित; क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज।	रूपये 1466250 रूपये 146625	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026
12.	**HL**0000000017818 लोकेश कुमार नागर (ऋणकर्ता), हनुमान नागर (सह-ऋणकर्ता), धापु बाई (सह-ऋणकर्ता), राम प्रसाद नागर (गारंटर)	मांग सूचना दिनांक 13-10-2025 और राशि रु. 609868 दिनांक 09-10-2025 + ब्याज लागत आदि और 02-01-2026	अचल संपत्ति, जो कि एक मकान/फ्लैट/डुप्लेक्स है। मकान (पट्टा संख्या 1186 और 1185), खसरा संख्या 973 पर स्थित, गाँव भवानीपुरा - पंचायत समिति हिंडोली - बूंदी, राजस्थान 323024; जिसका प्लॉट/निर्मित क्षेत्र लगभग 1250 वर्ग फुट है।	रूपये 1284010 /- रूपये 128401/-	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026
13.	**HL**0000000221567 रशीदा (ऋणकर्ता), बाबू खान (सह-ऋणकर्ता), महमूद खान (गारंटर)	मांग सूचना दिनांक 13-10-2025 और राशि रू. 3080486 दिनांक 10-10-2025 तक +ब्याज आदि सहित, दिनांक 10-01-2026	प्लॉट संख्या 75, पट्टा संख्या 887, खसरा संख्या 194, अमृत नगर, बोरखेड़ा, कोटा, राजस्थान 324001; जिसका क्षेत्रफल 58 वर्ग मीटर है।	रूपये 2864160/- रूपये 286416/-	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026
14.	**HL**0000000205691 महेंद्र कुमार (ऋणकर्ता), चंदा वर्मा (सह-ऋणकर्ता)	मांग सूचना दिनांक 17-10-2025 और राशि रू. 4195060 दिनांक 10-10-2025 +ब्याज आदि सहित, दिनांक 07-01-2026	"श्री बालाजी हाइट्स-I" में भूतल (ग्राउंड फ्लोर) पर स्थित यूनिट संख्या 108 (छत के अधिकारों के बिना); यह प्लॉट संख्या 115, 116, 117, 118 पर निर्मित है, जो सुंदर विहार योजना, गाँव गोकुलपुरा, जयपुर, राजस्थान - 302012 में स्थित है; जिसका क्षेत्रफल 1282.12 वर्ग फुट है।	रूपये 4576740/- रूपये 457674/-	28/04/2026 समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक। 15/04/2026

बिक्री सूचना की अन्य शर्ते और नियम अपरिवर्तित रहेंगे।

दिनांक: 27.03.2026 **अधिकृत अधिकारी**
स्थान: जयपुर, कोटा, अलवर, बूंदी, श्री गंगानगर, झालावाड़, बारां **वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः **yuvrajsinghh@gmail.com** पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ/JPC/D-009/2006-08**